संख्या-1/2022/678/74-2-2021-05(बजट)/2020

प्रेषक,

नरेन्द्र सिंह पटेल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय उ0प्र0,
लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 22/02/2022

विषयः 03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय योजना के अन्तर्गत 01-वेतन मद में हो रही सम्भावित बचत से 49-चिकित्सा व्यय मद में पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-534/सेरी0/लेखा/बजट अधि0-पुनर्विनियोग/2021-22, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेशम निदेशालय के अन्तर्गत अनुदान संख्या-10-लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-01-वेतन मद में हो रही संभावित बचतों में से धनराशि रू0 25.50 लाख (रूपये पच्चीस लाख पचास हजार मात्र) का अनुदान संख्या-10-लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-49-चिकित्सा व्यय मद में पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1- पुनर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से किया जा रहा है। सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का व्यय किया जाये।
2- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।
3- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका व्यय चालू वित्तीय वर्ष में नियमानुसार सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2- वर्तमान में प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022, के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, निदेशक, रेशम द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि को कोषागार से आहरित किया जायेगा।

3- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक, रेशम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त पर होने वाला व्यय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के बचतों से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 की सहमति से जारी किये जा रहें हैं। वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 द्वारा बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र हेतु आर0ई0 संख्या-346, दिनांक 03-02-2022 आवंटित की गयी है।

7- स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

नरेन्द्र सिंह पटेल
सचिव।

संख्या-1/2022/678(1)/74-2-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5 - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

परमात्मा यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।